फा.सं. 1.4(23)/2005-सामान्य-।।
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस,शाहजहां रोड,
नई दिल्ली -110069

टॉडिरन दूरभाष केन्द्र के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा

संघ लोक सेवा आयोग में अधिष्ठापित टॉडरिन दूरभाष केन्द्र "मॉडल कोरॉल-III इपीएबीएक्स" और एक्ससरीज (वाईस मेल सॉफ्टवेयर, कॉल बिलिंग सॉफ्टवेयर, एफसीबीसी, आदि) के विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए इस क्षेत्र से जुड़े वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) सेवा प्रदाताओं से दो-बोली प्रणाली के तहत ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। **मैनुअल बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।**

निविदा दस्तावेज आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सीपीपीपोर्टल साइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** से डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसका नियत समय नीचे **क्रिटिकल डेटशीट** में दिया गया है-:

क्रिटिकल डेटशीट

सीपीपी पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने की तारीख	19.08.2019
दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की तारीख	20.08.2019
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	09.09.2019
बोली प्रस्तुतीकरण शुरू करने की तारीख	20.08.2019
बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	09.09.2019
स्पष्टीकरण शुरू किए जाने की तारीख	20.08.2019
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	23.08.2019
तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय	11.09.2019 (15.00) बजे
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	11,000/-रूपये (केवल ग्यारह हजार रूपए)
वित्तीय बोली को खोलने का स्थान, तारीख एवं समय	तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा

बोलियां सीपीपीपी वेबसाइट :https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही जमा करनी होंगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई खरीद के लिए 'केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल' https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के "ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेज श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 dpi** में स्कैन किया जाए इससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम किया जा सकता है ।

महत्वपूर्ण: बोलीदाता किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए क्रिटिकल डेटशीट में दिए गए स्पष्टीकरण के नियत समय के अनुसार सभी कार्य दिवसों में दूरभाष न. 011-23098591 पर पूर्वाह्न 10.00 से अपराह्न 17.00 के बीच श्री सतीश कुमार, सहायक अधीक्षक (दूरभाष), संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. बोली के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

बोली केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट)** के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदा दो भागों, अर्थात् **तकनीकी बोली और मूल्य बोली** में ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

प्रस्तुत की जाने वाली बोली को अपलोड करने से पहले दस्तावेज़ों की विषय-वस्तु की प्रकृति का ध्यान किए बिना इसके सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए और इन पर क्रम संख्या डाली जानी आवश्यक है। फैक्स/ई-मेल अथवा किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा । क्रिटिकल डेटशीट में उल्लिखित ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/समय को या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर/ एफडीआर के रूप में 11,000/-रूपये (केवल ग्यारह हज़ार रूपये) की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के मूल विलेख की हार्ड प्रति संघ लोक सेवा आयोग के **स्वागत कक्ष, गेट-सी, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 पर लगे टेंडर बॉक्स** में अवश्य डाल दी जाए ।

(i) तकनीकी बोली:

बोलीदाता को **अनुबंध-III** पर **जांच सूची** में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, तकनीकी बोली के साथ भेजने होंगे -:

(क) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।

(ख) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।

(ग) वर्ष 2017-18 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए फर्म की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां ।

(घ) वर्ष 2017-2018 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए फर्म का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, अर्थात पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए 20 लाख रूपये या इससे अधिक के वार्षिक टर्नओवर से संबंधित समर्थित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां ।

(च) सरकारी संगठन/प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं/लोक सेवा आयोगों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/या प्रतिष्ठित निजी फर्मों से संबंधित कार्य आदेशों एवं ग्राहकों की सूची की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां।

(छ) 11,000/-रू. की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(ज) अनुबंध-I (कार्य क्षेत्र) अनुबंध-IV (फर्म द्वारा प्रमाणीकरण) और अनुबंध-III (जांच सूची) की विधिवत् हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां।

(ii) <u>मूल्य बोली</u>

(क) बोलीदाता अपनी दरें (रेट्स) केवल मूल्य बोली की अनुसूची **(अनुबंध-II)** के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करेंगे।

(ख) दरें उद्धृत करते समय करों को शामिल नहीं किया जाए। कर अगर कोई हैं, तो उन्हें मूल्य अनुसूची में अलग से दिखाया जाए।

(ग) उद्धृत किए गए मूल्य निविदा खोले जाने की तारीख से छः माह के लिए मान्य होने चाहिए।

घ) संविदा की वैधता अवधि के दौरान दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

ड़) अपूर्ण या अधूरी मूल्य बोलियां तुरंत खारिज कर दी जाएंगी।

2. जमा धरोहर राशि:

निविदा के साथ **11,000/- रूपये** (केवल ग्यारह हजार रुपए) की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अनिवार्य रूप से भेजी जानी है। यह जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली/ नई दिल्ली के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंक से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एफडीआर के रूप में जमा की जाएगी अन्यथा बोली तुरंत खारिज कर दी जाएगी। केन्द्रीय भंडार, एनसीसीएफ, एनएसआईसी

में पंजीकृत फर्म और अन्य कोई संगठन जिन्हें नियमों के अंतर्गत जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट प्राप्त है, उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट होगी । अन्य बोलीदाताओं के लिए, ऊपर दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि भेजी जानी अनिवार्य है।

क) जमा धरोहर राशि बोली की वैधता से 45 दिन की न्यूनतम अवधि के लिए वैध रहेगी ।

ख) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को स्कैन करके निविदा भेजने की अवधि के भीतर ई-टेंडरिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा मूल को संघ लोक सेवा आयोग में जमा करना होगा।

ग) असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि संविदा को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के बाद लौटा दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जमा धरोहर राशि पर किसी भी परिस्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. निष्पादन प्रतिभूति

(i) आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 10 (दस) दिन के भीतर या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित में दिए गए विस्तारित समय के भीतर, फर्म को संविदा के समुचित निष्पादन के लिए सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंक से जारी डिमांड डाफ्ट/पे ऑर्डर/बैंक गरांटी/एफडीआर के रूप में तीन वर्ष के लिए अनुमानित निविदा मूल्य की @5% अपरिवर्तनीय निष्पादन प्रतिभूति, संघ लोक सेवा आयोग को देनी होगी।

(ii) निष्पादन प्रतिभूति प्रारंभ में संविदा पूरी होने की निर्धारित तारीख से 90 दिन तक वैध होगी। यदि कार्य को पूरा करने के लिए समय बढ़ाया जाता है, तो फर्म को कार्य पूरा करने के लिए ऐसे विस्तारित समय को कवर करने हेतु निष्पादन प्रतिभूति की वैधता भी बढ़ाई जाएगी। आयोग सभी संविदात्मक दायित्वों के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक निष्पादन प्रतिभूति को अपने पास रखेगा।

iii) संघ लोक सेवा आयोग को संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संविदाकार द्वारा किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा न किए जाने की स्थिति में या संविदा के समाप्त होने की स्थिति में निष्पादन

प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्य पूरा न होने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है। यह परिसमाप्त क्षतियों/शास्ति यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा, जिसे विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अधिरोपित किया जा सकता है। निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निष्पादन प्रतिभूति पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

iv) यदि संविदाकार निर्धारित अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर अपेक्षित राशि की निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है, तो आशय-पत्र स्वत: वापस ले लिया माना जाएगा और संविदाकार की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. पात्रता मानदंड:

नीचे दी गई पात्रता के शर्तों के अंतगर्त विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम पात्रता मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा को कार्यान्वित करने तथा अपेक्षित गुणवत्ता वाली सेवाएं देने के लिए बोलीदाता के पास आवश्यक अनुभव, विशेषज्ञता, वित्तीय तथा मानव संसाधन हैं। इन योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को बोली की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन शर्तों को पूरा नहीं करने वाली बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाता निम्नलिखित प्रत्येक खंड के लिए बिन्दुवार अनुपालन तथा संगत दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

i) बोलीदाता के पास प्रतिष्ठित सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र या निजी कंपनियों में टॉडिरन दूरभाष केन्द्र सेवाओं के लिए अनुरक्षण प्रदान करने का **कम से कम तीन वर्ष** का अनुभव होना चाहिए।

ii) तकनीकी बोली के साथ ग्राहकों की एक सूची सहित संगत कार्य आदेशों की प्रतियां संलग्न की जाएं। जिसमें इस आशय का समर्थन हो कि उनके पास टॉडिरन दूरभाष केन्द्रों के अनुरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है।

iii) वर्ष **2017-2018** सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के दौरान फर्म का वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख रूपये का होना चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को फर्म के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।

5. **<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>**

क) उपर्युक्त टॉडिरन दूरभाष केन्द्र के उपकरणों के संबंध में प्रदान की जाने वाली अनुरक्षण सेवा "जैसा है जहां है आधार" पर शुरू होगी। अनुरक्षण सेवाएं साइट पर प्रदान की जानी हैं।

ख) बोलीदाता को लिखित रूप में इस आशय का वचनबंध देना होगा कि टेलीफोन केन्द्र आदि के पुर्जों की मरम्मत / प्रतिस्थापन मूल उपकरण विनिर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं से अर्थात टॉडिरन का होगा।

ग) बोलीदाता कर प्राधिकरणों में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण प्रमाणपत्र / संगत दस्तावेजों जैसे जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यत: संलग्न की जानी चाहिए।

घ) बोलीदाता को भारत सरकार की एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा वर्तमान में काली सूची में रखा या डाला गया नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को फर्म के लेटर हेड पर इस संबंध में एक लिखित घोषणा-पत्र देना होगा।

ड़) बोलीदाता को **अनुबंध-III** के अनुसार एक शपथ पत्र देना भी आवश्यक है जिसमें यह प्रमाणित हो कि:

i) कि मैं / हम एनआईटी में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से समझते हैं और हमारी बोली कार्यक्षेत्र के अनुसार है कि फर्म को प्रतिष्ठित सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र या निजी कंपनियों को टॉडिरन टेलीफोन केन्द्र सेवा का अनुरक्षण प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का आवश्यक तकनीकी अनुभव है। टॉडिरन टेलीफोन एक्सचेंज के अनुरक्षण में संगत विशेषज्ञता के समर्थन में संगत कार्य आदेशों की प्रति के साथ-साथ ग्राहकों की सूची संलग्न है।

ii) कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं;

iii) कि एनआईटी में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को भली-भांति समझते हैं और हमारी बोली पूर्णतया कार्यक्षेत्र के अनुरूप है।

iv) कि टेलीफोन केन्द्र आदि के पुर्जों की मरम्मत /प्रतिस्थापन आदि मूल विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैसर्स टॉडिरन का होगा।

v) कि मुझे/हम पर तीन ठीक पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आय/संपत्ति छुपाने के मामले में शास्ति नहीं लगाई गई है या दोषी करार नहीं दिया गया है।

vi) कि मेरी फर्म को विगत में किसी भी समय में किसी सरकारी कार्यालय या एजेंसी द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया/न ही विवर्जित किया गया है या सेवाएं समाप्त की गई हैं।

च) बोलियां, तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख से न्यूनतम 180 दिन की अवधि के लिए मान्य होंगी।

छ) कोई भी बोली, बोलियों को जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा तथा बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट या इसमें निर्धारित वैधता की अवधि समाप्त होने के बीच में वापस नहीं ली जा सकेगी। अंतराल के दौरान बोली को वापस लिए जाने का पर ऐसे बोलीदाता की जमा धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है।

ज) काल्पनिक तथा सशर्त बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

झ) संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए किसी बोली अथवा सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

ञ) यह संविदा जारी होने की तारीख से 03 (तीन) वर्ष के लिए मान्य होगी। तथापि, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार से इस संविदा को तृतीय वर्ष की दरों और उन्हीं निबंधन एवं शर्तों के आधार पर आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं।

ट) संघ लोक सेवा आयोग यदि इस बात से संतुष्ट है कि बोलीदाता संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा है तो आयोग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को किसी भी समय समाप्त कर दे। इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ठ) संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी कारण से सफल बोलीकर्ता को एक महीने का नोटिस देकर वार्षिक अनुरक्षण संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा।

ड) अनुरक्षण कॉल के लिए प्रतिक्रिया समय (रेस्पॉन्स टाइम) दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सिस्टम डाउन समय, शिकायत दर्ज किए गए समय से 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि डाउन टाइम 24 घंटे से अधिक है, तो बोलीदाता को एक वैकल्पिक सिस्टम प्रदान कराना होगा। यदि सिस्टम की मरम्मत नहीं की जाती है या विफलता रिपोर्ट के समय से 24 घंटे की अवधि के भीतर वैकल्पिक सिस्टम की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग उसका किसी अन्य एजेंसी से मरम्मत कराने या उसके स्थान पर दूसरा सिस्टम प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है और उस पर होने वाली लागत या व्यय बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

ढ.) **आयकर:** यथा लागू बिल से स्रोत पर वसूली। बोलीदाता को अपना स्थायी आयकर खाता सं (PAN) और वर्ष 2017-18 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए फर्म की आयकर विवरणी की प्रतियां देनी होगी।

6. बोलियों का मूल्यांकन:

क) केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां विस्तृत जांच के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

ख) अनुबंध-II पर दी गई मूल्य अनुसूची के अनुसार प्रत्येक मद के लिए दरें अलग-अलग दी जानी चाहिए। इन दरों में कर शामिल नहीं होंगे। यथा लागू कर अदा किए जाएंगे।

ग) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा की कुल लागत (करों के छोड़कर) के आधार पर किया जाएगा। कुल लागत सभी तीन वर्ष के लिए संविदा की वार्षिक लागत के कुल योग से आंकी जाएंगी।

घ) एल -1 बोलीदाता का निर्धारण एनपीवी (निवल वर्तमान मूल्य) के आधार पर 10% वार्षिक छूट की दर पर किया जाएगा। एल-1 फर्म तय करने के लिए गणना का विवरण मूल्य अनुसूची (अनुबंध- II) में दिया गया है। एल-1 विक्रेता का चयन एनपीवी के आधार पर होगा। तथापि, भुगतान विक्रेता द्वारा वर्षवार दी गई दरों के आधार पर यथा लागू करों सहित किया जाएगा।

7. **<u>जोखिम क्रय खंड:-</u>**

यदि बोली प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात् आशय पत्र जारी होने के बाद बोलीदाता, बोली दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है या दी गई समय-सीमा के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है या किसी भी समय संविदा से मुकर जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति यदि जमा की गई हो को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर कार्य को अन्य एजेंसी से पूरा कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था तथा फर्म के निविदा मूल्य के बीच लागत के अंतर को कर, भाड़ा एवं संगत प्रभार सहित फर्म से वसूला जाएगा। यदि संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है और यदि खरीद मूल्य कम हो तो इसका कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

8. **शास्ति**

यदि सिस्टम डाउन टाइम, 'कार्यक्षेत्र' (अनुबंध- I) के पैरा 9 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग को संतोषजनक अनुरक्षण सेवा प्रदान करने में विफलता के

लिए फर्म के तिमाही बिल पर खंड 5 (एम) में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने के अलावा, उस विशेष तिमाही के कुल संविदा मूल्य के अधिकतम 10% की शर्त पर प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए शिकायतों के निपटान के लिए @1% की दर से शास्ति लगाने का अधिकार है।

9. अपरिहार्य घटना

किसी दैवीय प्रकोप या अग्निकांड, विस्फोट, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा, सरकारी विधान, आदेश या विनियम आदि के कारण किसी पक्षकार द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में विलंब या विफलता को ऐसी चूक नहीं माना जाएगा, जिसके लिए हर्जाने का दावा किया जा सके। ऐसी स्थिति में पक्षकारों द्वारा दायित्वों के निर्वहन के लिए समय को अपरिहार्य घटना की समयावधि तक बढ़ा हुआ माना जाएगा। दोंनो पक्षकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी अपरिहार्य घटना के कारण हुआ विलंब न्यूनतम है।

10. मध्यस्थता

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा परिणाम या आशय या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो तो ऐसे में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

11. **<u>क्षेत्राधिकार</u>**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी भी अधिकार को निर्धारित करने के उद्देश्य से हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के लिए एतद्वारा सहमति व्यक्त करते हैं।

12. **भुगतान**

विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने के आधार पर तिमाही आधार पर किया जाएगा।

13. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> पर भी उपलब्ध है।

(आर.के.दीक्षित)
अवर सचिव(सामान्य)
दूरभाष न. 011-23388418

अनुबंध-I

कार्य का क्षेत्र

1. वार्षिक अनुरक्षण संविदा में दूरभाष केन्द्र तथा दूरभाष केन्द्र में लगाए गए अन्य संबद्ध उपकरणों का तिमाही आधार पर निवाराक अनुरक्षण, सफाई और सर्विसिंग शामिल होगी ।

2. वार्षिक अनुरक्षण संविदा में दूरभाष केन्द्र का सुधारात्मक अनुरक्षण शामिल होगा जिसमें बैटरी के अलावा खराब पुर्जों के स्थान पर सही पुर्जों तथा अन्य संबद्ध उपकरणों को मुफ्त बदलना शामिल है ।

3. वार्षिक अनुरक्षण संविदा के दौरान फर्म प्रणाली के साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपकरणों की देखभाल करेगी तथा अतिरिक्त प्रोग्रामिंग के लिए संघ लोक सेवा आयोग, फर्म को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं देगा ।

4. फर्म द्वारा बदले गए खराब पुर्जों को फर्म को अपने खर्चे पर ले जाना होगा ।

5. शिकायत दर्ज होने के बाद फर्म को संघ लोक सेवा आयोग परिसर में अनुरक्षण / मरम्मत सेवाएं प्रदान करनी होंगी ।

6. नियमित पर्यवेक्षण तथा अनुरक्षण सामान्यत: कार्य समय के दौरान किया जाएगा। कार्य समय की अवधि संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यक्तानुसार विशेष परिस्थितियों, जैसे सिस्टम के पूरी तरह डाउन होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन मामलों, में परिवर्तित या बढ़ाई जा सकती है ।

7. ऊपर उल्लिखित उपकरणों के संबंध में अनुरक्षण/ मरम्मत संबंधी सेवाएं “जहां है जैसी स्थिति है” के आधार पर होगी ।
8. अनुरक्षण कॉल के लिए प्रतिक्रिया करने का समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए ।
9. शिकायत किए जाने के पश्चात सिस्टम डाउन रहने का समय 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सिस्टम फेल होने की सूचना दिए जाने से 24 घंटे की अवधि में सिस्टम की मरम्मत नहीं की जाती है तो संघ लोक सेवा आयोग किसी अन्य एजेंसी से मरम्मत या बदलाव कर सकता है और खंड-08 में उल्लिखित शास्ति लगाने के अलावा इस पर आने वाली लागत एवं खर्च की वसूली फर्म से की जाएगी ।

अनुबंध -II

मूल्य अनुसूची

सेवाओं का नाम	**वार्षिक लागत (रुपये में)**			**कर (%में)**
	पहला वर्ष	**दूसरा वर्ष**	**तीसरा वर्ष**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**
सहायक उपकरणों (एक्सेसरीज) के साथ टॉडिरन टेलीफोन एक्सचेंज की व्यापक ए एम सी				
	Y_1=	**Y_2=**	**Y_3=**	

<u>महत्वपूर्ण टिप्पणियां</u>:-

1) पहला वर्ष संविदा प्रदान करने की तारीख से शुरू होगा।

2) दरें पूरी तरह उपरोक्त प्रारूप के अनुसार उद्धृत की जाएंगी। उपरोक्त रूप में निर्धारित के अलावा किसी अन्य रूप में प्रस्तुत दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3) 10 % वार्षिकी छूट की दर पर एनपीवी (निवल वर्तमान मूल्य) की गणना की जाएगी। एल-1 फर्म तय करने के लिए गणना का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

एनपीवी = $\{Y1+Y2/(1+ 0.1) + Y3/(1 + 0.1)^2\}$

[एनपीवी = निवल वर्तमान मूल्य; Y1 = पहले वर्ष के लिए उद्धृत दर; Y2 = दूसरे वर्ष के लिए उद्धृत दर और Y3 = तीसरे वर्ष के लिए उद्धृत दर]

एनपीवी के उदाहरण:

(i) यदि Y1 = 150, Y2 = 200 और Y3 = 240, तो एनपीवी की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:-

एनपीवी = 150 + (200/1.1) + (240/1.21)
= 150 + 181.82 + 198.35
= 530.17

इस प्रकार, एनपीवी 530.17रुपये है।

4) एल-1 विक्रेता का चयन एनपीवी के आधार पर होगा। तथापि, भुगतान, विक्रेता द्वारा उद्धृत वर्षवार दर और यथा लागू कर सहित, के आधार पर किया जाएगा।
5) एल-1 का निर्धारण करते समय कर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तथापि, उनका भुगतान वास्तविक के अनुसार/ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर किया जाएगा।

अनुबंध-III

संघ लोक सेवा आयोग में अधिष्ठापित टॉडिरन दूरभाष केन्द्र के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

हमने ..... (फर्म का नाम एवं पता) आपके दिनांक ..... के नि.आ.सू. के प्रत्युतर में संघ लोक सेवा आयोग में अधिष्ठापित टाडिरन दूरभाष केन्द्र के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है । निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथापेक्षित जानकारी के संबंध में हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि हम फर्म के पास कम से कम तीन वर्ष का, प्रतिष्ठित सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र या निजी कंपनियों को टॉडिरन दूरभाष केन्द्र सेवाओं का अनुरक्षण प्रदान करने का आवश्यक तकनीकी अनुभव है। टॉडिरन दूरभाष केन्द्र के अनुरक्षण में संगत विशेषज्ञता के समर्थन में सहित कार्य आदेशों की प्रति के साथ-साथ ग्राहकों की सूची संलग्न है।

2. कि हम नि.आ.सू. में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णत: कार्य क्षेत्र के अनुसार है।

3. कि दूरभाष केन्द्र के पूर्जों की मरम्मत / प्रतिस्थापन किए जाने वाले पुर्जे मूल विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैसर्स टॉडिरन के होंगे ।

4. कि हमें निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं ।

5. कि ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान फर्म को आय / धन को छिपाने के लिए न ही दंडित किया गया है और न दोषी करार दिया गया है।

6. कि मेरी फर्म को विगत में किसी भी समय में किसी भी सरकारी कार्यालय या एजेंसी द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया / न ही विवर्जित किया गया है या सेवाएं समाप्त की गई है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

अनुबंध-IV

जांच सूची

क.	पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति	हां / नहीं
ख	जी. एस. टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति	हां / नहीं
ग.	वर्ष 2017-18 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां	हां / नहीं
घ.	वर्ष 2017-18 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष की लेखा परीक्षा की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां अर्थात् पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान 20.00 लाख रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार के संबंध में सहायक दस्तावेज ;	हां / नहीं
ड.	सरकारी संगठनों / प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों / लोक सेवा आयोगों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / या प्रतिष्ठित निजी फर्मों के ग्राहकों की सूची तथा उनके कार्य आदेशों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियाँ;	हां / नहीं
च.	11,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति	हां / नहीं
छ.	अनुबंध-III के अंतगर्त अपेक्षित प्रमाणपत्र की प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति	हां / नहीं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
दूरभाष सं. / मोबाइल सं. / फैक्स सं.
सहित फर्म का नाम एवं पता

<u>ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश</u>

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग कर सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का आशय सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है। सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

1. **पंजीकरण:**

(1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) सीपीपी पोर्टल पर **"ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन"** लिंक पर क्लिक करके, जो नि:शुल्क है, नामांकित करना अपेक्षित है ।

(2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड निर्धारित करना अपेक्षित होगा ।

(3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है । इन्हें सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(4) नामांकन हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत मान्यताप्राप्त (अर्थात सीफि / टी सी एस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रामाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाणपत्र को रजिस्टर करना होगा) ।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें ।

2. निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

(1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है और कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन पैरामीटरों में निविदा आई डी,

संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, स्थान, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए एक साथ मिला सकते है ।

(2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़/ निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस.एम.एस./ ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा।

(3) यदि बोलीदाता हेल्प डेस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण /मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए।

3. बोली तैयार करना:

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि यह जानकारी हो सके कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ अपेक्षित हैं। जिन लिफाफों में बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, उन लिफाफों की संख्या, जिन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, उनमें प्रत्येक के नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या कृपया नोट कर लें। इनमें से किसी का अनुपालन न होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

(3) बोलीदाता को बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए पहले से तैयार रखना चाहिए और सामान्यत: ये दस्तावेज़ पी.डी.एफ./ एक्स.एल.एस./ आर.ए.आर./ डी.डब्ल्यू.एफ./ जे.पी.जी. फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्याम-श्वेत विकल्प में 100 डी.पी.आई. पर स्कैन किया जाए जिससे स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को छोटा रखने में सहायता मिलती है।

(4) ऐसे मानक दस्तावेज़ों जिन्हें प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, उन्हें अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है । बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को "माई स्पेस" एरिया से सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की

आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

बोली प्रस्तुत करना

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए समय रहते साइट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सकें। किन्हीं अन्य कारणों से हुई देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ों को डिजिटल हस्ताक्षरित कर एक-एक कर अपलोड करना होगा।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क व जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और भुगतान माध्यम का विवरण प्रविष्ट करना होगा ।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक डाक/ कुरियर/ अथवा व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी को भेजे जाने चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/ किसी अन्य स्वीकृत भुगतान माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरण को स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण से मेल खाना चाहिए तथा प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से इनका मिलान कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि उन्हें अनिवार्यत: प्रदान किए गए फॉर्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा करना है तथा कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली, निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक पी.डी.एफ. फॉर्मेट में दी गई है, तो उसे डाउनलोड कर सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए। बोलीदाताओं को पी.डी.एफ. फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग वाले (अरक्षित) सेल्स को भरें। अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पी.डी.एफ. फाइल बोलीदाता द्वारा संशोधित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलने आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ पी.के. आई. इन्क्रिपशन तकनीक का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को बनाए रखा गया है। संवेदनशील फील्ड्स का डेटा स्टोरेज इन्क्रिप्ट किया जाता है। जो भी बोली दस्तावेज सर्वर पर अपलोड किया जाता है वह प्रणाली जनित 'सिमिट्रिक की' का प्रयोग करते हुए इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त इस 'की' को क्रेता/ बोली खोलने वाली 'पब्लिक की' द्वारा 'असिमिट्रिक इन्क्रिप्ट' किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज, प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे ।

(9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली की सार प्रदर्शित हो जाएगी ।

(10) बोली सार को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली जमा किए जाने की पावती के रूप में इसे रखना होगा। इस पावती को बोली खुलने से संबंधित किसी भी बैठक में भाग लेने हेतु एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

5. **बोलीदाताओं को सहायता**

(i) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए अपना पत्र निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित करते हुए भेजें।

(ii) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल संबंधित जानकारी लेने के लिए 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को भेजी जा सकती है। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 पर भी मदद ले सकते हैं।